भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2207
मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

बायोमास ऊर्जा प्रणाली का विकास

2207. श्री सतीश चंद्र दुबे: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बायोमास ऊर्जा प्रणाली के विकास के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदिं हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु बिहार सहित प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): एमएनआरई की "देश में चीनी मिलों और अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता की योजना" को दिनांक 31.03.2021 से आगे और वर्ष 2025-26 तक के लिए केवल पहले से सृजित देयताओं की पूर्ति करने के लिए जारी रखा गया है। अतः, दिनांक 31.03.2021 के बाद कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जानी हैं।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.10.2021 को जारी "कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के जरिए विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग हेतु संशोधित नीति" के तहत कोयले के साथ-साथ मुख्यतः कृषि अवशिष्ट से निर्मित बायोमास पैलेटों का मिश्रण अनिवार्य किया है। उक्त नीति की खास बातें इस प्रकार हैं:

(i) सभी ताप विद्युत संयंत्र इस दिशानिर्देश के जारी होने की तिथि के 1 वर्ष बाद से, कोयले के साथ-साथ मुख्यतः कृषि अवशिष्ट से बने बायोमास पैलेट का 5 प्रतिशत मिश्रण करके उपयोग करेंगे। इस आदेश के जारी होने की तिथि के 2 वर्ष बाद से यह बाध्यता बढ़कर 7 प्रतिशत तक हो जाएगी (बॉल और ट्यूब मिल वाले संयंत्रों को छोड़कर जिनमें बायोमास का उपयोग 5 प्रतिशत रहेगा)।

(ii) उत्पादन यूटिलिटीज द्वारा बायोमास पैलेट की खरीद के लिए न्यूनतम अनुबंध अवधि 7 वर्षों की होगी ताकि उत्पादन कंपनियों द्वारा हर वर्ष अनुबंध प्रदान करने में और साथ ही दीर्घकालिक आपूर्ति चेन बनाने में देरी से बचा जा सके।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 (15.03.2022 तक) के दौरान इस योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान बिहार राज्य में योजना के तहत परियोजनाओं के लिए कोई सहायता नहीं दी गई थी।

अनुलग्नक

'बायोमास ऊर्जा प्रणाली का विकास' के संबंध में पूछे गए दिनांक 22.03.2022 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2207 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त-वर्ष 2021-22 के दौरान देश में चीनी मीलों एवं अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए योजना के तहत बायोमास विद्युत संयंत्रों को दी गई केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के राज्य-वार ब्यौरे:

(15.03.2022 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	सीएफ के रूप में जारी राशि (करोड़ रुपए में)	क्षमता (मेगावाट में)	परियोजनाओं की संख्या
बिहार	-	-	-
केरल	0.77	1.55	1
मध्य प्रदेश	1.24	2.49	2
महाराष्ट्र	2.33	15	1
उत्तर प्रदेश	1.25	2.5	1
कुल	5.59	21.54	5

*****